


कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों से विज्ञप्ति सं०-09/2015, दिनांक 07.07.2015 के द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान, कला एवं भाषा (गैर उर्दू) एवं भाषा (उर्दू) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक स्पीड/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में विभिन्न कोटि के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों की प्रविष्टि कम्प्यूटर में कर ली गई है तथा उसका डाटाबेस धनबाद जिले के वेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर संबंधित अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ अपलोड कर दी गई है।

मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या 1530, दिनांक 03.07.2015 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 के अनुसार मेधा सूची निर्माण में अतिरिक्त विषयों के प्राप्तांक को नहीं जोड़ा जाना है। नियमावली के आलोक में स्क्रूटनी उपरांत जो स्थिति बनी है उसका उल्लेख अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया गया है। इसके बावजूद यदि किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उसके नाम के सामने अंकित डिग्रियों में जो अंक का उल्लेख किया गया है वह सही नहीं है तो वैसी स्थिति में साक्ष्य के साथ आपत्ति दिनांक 11.08.2015 के अन्दर पता : जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यालय धनबाद, मिश्रित भवन, (भू-तल), धनबाद, पिन कोड- 826001 स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक या विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्क्रूटनी के क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित डिग्रियों में अधिक अंक का उल्लेख किया गया है जिसका वे हकदार नहीं हैं एवं अन्य कोई त्रुटी अंकित है तो वे भी इस आशय की सूचना कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनकी नियुक्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है।

सिर्फ निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों पर ही गुणदोष के आधार पर समीक्षोपरांत वरीयता सूची प्रकाशित करते हुये नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।


जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद


08/08/2015